खंड-जीपीसी

सामान्य क्रय शर्तें

1.0 शब्दों की परिभाषा

1.1 'ठेके' से अभिप्रेत है कि पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित ठेके करार के अनुसार स्वामी और ठेकेदार के बीच निष्पादित करार और सभी संलग्नकों और उनके परिशिष्टों तथा इनमें संदर्भ द्वारा शामिल किए गए सभी दस्तावेज।

1.2 'स्वामी' से अभिप्रेत है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत (भारत सरकार का एक उपक्रम) जिसका निगमित कार्यालय "ऊर्जा निधि", 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 है और इसमें उनके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.3 'ठेकेदार' अथवा 'विनिर्माता' से अभिप्रेत है कि वह बोलीदाता जिसकी बोली को स्वामी द्वारा कार्यों को अवॉर्ड करने के लिए स्वीकार की जाएगी और इसमें सफल बोलीदाता के कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.4 'उप-ठेकेदार' से अभिप्रेत है कि कार्य के किसी भाग के लिए ठेके में उल्लिखित व्यक्ति के नाम अथवा कोई व्यक्ति जिसको ठेके का कोई भाग इंजीनियर की लिखित में सहमति से ठेकेदार द्वारा उप-किराए पर दिया गया है और इन व्यक्तियों में कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.5 'इंजीनियर' से अभिप्रेत है कि स्वामी द्वारा ठेके के लिए समय-समय पर इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए स्वामी द्वारा लिखित में नियुक्त अधिकारी।

1.6 'कंसल्टिंग इंजीनियर'/'कंसल्टेंट' से अभिप्रेत है कि स्वामी द्वारा समय-समय पर विधिवत रूप से नियुक्त कोई फर्म या व्यक्ति।

1.7 'उपकरण', 'भंडार' और 'सामग्री' शब्द से अभिप्रेत है कि ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण, भंडार और सामग्री और शामिल होगा।

1.8 'कार्य' से अभिप्रेत है कि कार्यस्थल पर उपकरण/सामग्री की फर्निशिंग करना और यदि अपेक्षित हो तो उतराई, भंडारण, कार्यस्थल पर संभाल, इरेक्शन, परीक्षण एवं चालू करने का पर्यवेक्षण और ठेके में परिभाषित अनुसार संतोषजनक प्रचालन शुरू करना।

1.9 'विनिर्देशों' से अभिप्रेत है कि पारस्परिक रूप से सहमत ठेके और अन्य अनुसूचियां और ड्राइंग, जो विनिर्देशों और बोली दस्तावेज़ के भाग हैं।

1.10 'कार्यस्थल' से अभिप्रेत है कि वह भूमि और अन्य स्थान पर, जिसमें अथवा जिसके माध्यम से कार्य और संबद्ध सुविधाएं स्थापित अथवा संस्थापित की जानी है और उससे लगी हुई कोई भूमि, पथ, गली अथवा जलाशय जो ठेके के निष्पादन में स्वामी अथवा ठेकेदार में आवंटित किया जा सकता है अथवा प्रयोग किया जा सकता है।

1.11 'ठेका मूल्य' शब्द से अभिप्रेत है कि कार्य के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए अवॉर्ड-पत्र में शामिल और सहमत हुए अनुसार बढ़ाया और/अथवा कम करने सहित अपनी बोली में ठेकेदार द्वारा उद्धृत मूल्य।

1.12 'विनिर्माता का कार्य' अथवा 'ठेकेदार का कार्य' से अभिप्रेत है कि ठेके के निष्पादन में विनिर्माता, ठेकेदार, उनके सहयोगियों/संबद्धों अथवा उप-ठेकेदार द्वारा प्रयोग किया गया कार्य का स्थल।

1.13 'निरीक्षक' से अभिप्रेत है कि ठेके के अंतर्गत उपकरण, भंडार अथवा कार्य का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर स्वामी अथवा स्वामी द्वारा नामित कोई व्यक्ति और अथवा स्वामी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी।

1.14 'ठेके के अवॉर्ड की सूचना'/'अवॉर्ड-पत्र'/'अवॉर्ड टेलेक्स' से अभिप्रेत है कि स्वामी द्वारा ठेकेदार को जारी सरकारी नोटिस, जिसमें यह अधिसूचित किया जाएगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।

1.15 'ठेके की तारीख' से उस तारीख से अभिप्रेत है जिसमें ठेके की अवॉर्ड सूचना/अवॉर्ड-पत्र जारी किया गया है।

1.16 'माह' से अभिप्रेत है कैलेंडर माह। जब तक कि यह विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाए 'दिन' अथवा 'दिवस' से कैलेंडर दिन अथवा प्रत्येक 24 घंटे के लिए दिन अभिप्रेत होगा।
एक 'सप्ताह' से अभिप्रेत है कि 7 (सात) दिन की सतत अवधि।

1.17 'लिखित' अभिप्रेत है कि कोई पांडुलिपि, टाइप किया हुआ लिखित अथवा मुद्रित विवरण, हस्ताक्षर के अधीन और/अथवा सील, जैसी भी स्थिति हो।

1.18 जब 'अनुमोदित', 'अनुमोदन के अध्यधीन', 'संतोषप्रद, 'के बराबर', 'उचित', 'अनुरोध किया गया', 'यथानिर्देशित', 'जहां निदेशित', 'जब निदेशित', 'द्वारा निर्धारित', 'स्वीकृत', 'अनुमत' शब्द अथवा इसी प्रकार के महत्व के शब्द और वाक्यांश प्रयोग किए जाते हैं तो स्वामी/इंजीनियर के अनुमोदन, निर्णय, निर्देश आदि माना जाना है।

1.19 कार्य पूरा होने पर परीक्षण से अभिप्रेत है कि ऐसे परीक्षण जो स्वामी द्वारा कार्य अपने हाथ में लिए जाने से पूर्व ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु ठेके में विनिर्दिष्ट किए गए हों।

1.20 'स्टार्ट-अप' से अभिप्रेत है उस निष्क्रिय स्थिति से ठेके के अंतर्गत शामिल उपकरण लाने हेतु अपेक्षित समय अवधि, जब प्रचालन परीक्षण के लिए तैयार स्थिति के लिए निर्माण अनिवार्य रूप से पूरा है। स्टार्ट-अप अवधि में प्रारंभिक निरीक्षण और सहायक उप-प्रणाली की जांच, परीक्षण से पूर्व आवश्यक प्रचालन डाटा प्राप्त करने के लिए ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण का प्रारंभिक प्रचालन, निष्पादन कैलिब्रेशन और सही करने की कार्रवाई, बंद करना, निरीक्षण और परीक्षण प्रचालन अवधि से पूर्व समायोजन शामिल होगा।

1.21 'प्रारंभिक प्रचालन' से अभिप्रेत है कि सेवा में उप-प्रणाली और सहायक उपकरण अथवा सेवा के लिए उपलब्ध सहित ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण का प्रथम महत्वपूर्ण प्रचालन।

1.22 'परीक्षण प्रचालन', 'विश्वसनीयता परीक्षण', 'परीक्षण के तौर पर चलाना', 'पूर्णता परीक्षण' से अभिप्रेत है कि स्टार्ट-अप अवधि के पश्चात बढ़ाई गई समय अवधि। इस परीक्षण प्रचालन अवधि के दौरान इकाई पूरे भार रेंज में प्रचालित की जाएगी। परीक्षण प्रचालन अवधि जब तक कि ठेके में अन्यत्र अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए इंजीनियर द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।

1.23 'निष्पादन एवं गारंटी परीक्षण' से अभिप्रेत है कि ठेके दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षमता, दक्षता और प्रचालनात्मक विशेषताएं निर्धारित करने और प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सभी जाँच और परीक्षण।

1.24 'अंतिम स्वीकृति' शब्द से अभिप्रेत है कि तकनीकी विनिर्दिष्टियों में विनिर्दिष्ट अनुसार अथवा ठेके में अन्यथा सहमत निष्पादन और गारंटी परीक्षणों के सफलतापूर्वक चालू करने/पूरा होने के पश्चात ठेके के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की स्वामी की लिखित स्वीकृति।

1.25 'वाणिज्यिक प्रचालन' से अभिप्रेत है कि प्रचालन की वह स्थिति जिसमें ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण निर्धारित क्षमता तक और सहित विभिन्न भारों पर सतत प्रचालन के लिए उपलब्ध होने के लिए स्वामी द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित। तथापि, स्वामी द्वारा इस प्रकार की घोषणा ठेके के अंतर्गत अपनी किसी बाध्यता के लिए ठेकेदार को मुक्त नहीं करेगी अथवा वह पूर्व धारणा नहीं होगी।

1.26 'वारंटी अवधि'/'अनुरक्षण अवधि' से अभिप्रेत है वह अवधि जिसमें ठेकेदार ठेके के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की मरम्मत अथवा किसी दोषपूर्ण भाग को बदलने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

1.27 'निहित त्रुटि' से अभिप्रेत है ऐसी त्रुटियां जो दोषपूर्ण डिजाइन, सामग्री अथवा वर्कमैनशिप के कारण हुई हो और जिसका इस प्रकार के परीक्षण करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर निरीक्षण, जाँच आदि के दौरान पता नहीं लगाया जा सकता।

2.0 बोली प्रस्तुत करना

2.1 बोली की संपूर्ण प्रक्रिया ई-खरीद/ई-निविदा के माध्यम से **http://www.tcil-india-electronictender.com** से होगी। यदि मदों से संबंधित कोई ब्रोशर/विनिर्देश अपेक्षित हैं तो इस प्रकार के मामलों में उनकी स्कैन की हुई प्रति तकनीकी बोलियों में अपलोड की जाएगी। उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत की गई बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।

3.0 बोलियों में हस्ताक्षर

3.1 बोली में बोली लगाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम और कारोबार अवश्य दर्शाया गया हों और हस्ताक्षर किए गए हों और अपने सामान्य हस्ताक्षर बोलीदाता द्वारा सील की हुई हों। हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम भी हस्ताक्षर के नीचे टाइप अथवा मुद्रित होना चाहिए।

3.2 किसी भागीदार द्वारा बोली सभी भागीदारों के पूर्ण नामों में प्रस्तुत की जाए, भागीदार के नाम सहित हस्ताक्षरित हों, उसके बाद प्राधिकृत भागीदार (भागीदारों) अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के हस्ताक्षर और पदनाम हों।

3.3 निगम/कंपनी द्वारा बोली अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा इस मामले में निगम/कंपनी की ओर से बोली के लिए प्राधिकृत कंपनी सचिव अथवा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निगम/कंपनी के कानूनी नाम के साथ हस्ताक्षरित हो।

3.4 बोली के साथ बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार के संतोषजनक साक्ष्य दिए जाएं।

3.5 प्रस्ताव पर उल्लिखित बोलीदाता का नाम फर्म का सही कानूनी नाम होगा।

4.0 सील करना और बोली मार्क करना

4.1 निविदा लागत फीस और ईएमडी के कारण बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट वाले लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता लिखें ताकि यदि यह "विलंब" और "अस्वीकृत" घोषित किया जाता है तो बिना खोले लिफाफे को वापस किया जा सके। लिफाफे पर निविदा का नाम, संदर्भ संख्या और दिनांक 00.00.18 से पहले नहीं खोले" शब्द लिखा होना चाहिए।

4.2 यदि बाहर वाला लिफाफा उपर्युक्त के अनुसार सील किया हुआ और मार्क किया हुआ नहीं है तो बोली के खो जाने अथवा समय से पहले खोलने के लिए बोली का दायित्व स्वामी का नहीं होगा।

5.0 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

5.1 **फैक्स/टेलीग्राम/हार्ड कॉपी (फिजिकल फॉर्म) द्वारा प्रस्तुत बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।** एयरलाइंस, कार्गो एजेंट आदि से प्रस्ताव लाने के लिए स्वामी द्वारा किसी बोलीदाता का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.2 निविदा लागत फीस और बोली की ईएमडी के बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के साथ पास फ्रेज वाले लिफाफे को आमंत्रण उल्लिखित तारीख और समय से पहले उपर्युक्त उल्लिखित पते पर स्वामी को अवश्य प्राप्त हो जाएं।

5.3 स्वामी अपने विवेक पर बोली/आरएफपी के लिए आमंत्रण को संशोधित करके बोली प्रस्तुत करने के लिए इस समय-सीमा को बढ़ा सकता है। इस मामले में स्वामी और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व उसके बाद बढ़ाई गई समय-सीमा की शर्त पर पिछली समय-सीमा के अध्यधीन होंगे।

6.0 विलंब से बोली

6.1 स्वामी द्वारा निर्धारित समय और तारीख अथवा बोली प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा के पश्चात स्वामी को प्राप्त होने वाली निविदा लागत फीस और ईएमडी बोली के कारण बैंकर

चेक/डिमांड ड्राफ्ट वाला कोई भी लिफाफा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और/अथवा बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

7.0 जमानत राशि (ईएमडी)/बोली गारंटी

7.1 प्रत्येक बोली के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंक की ओर से नई दिल्ली में देय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूप में ----------/- रुपए की बोली गारंटी अथवा परिशिष्ट-III के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अप्राप्य बैंक गारंटी होनी चाहिए।

7.2 बिना बोली गारंटी की बोली गैर-उत्तरदायी के रूप में स्वामी द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

7.2.1 असफल बोलीदाता की बोली गारंटी सफल बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश की गैर-शर्त स्वीकृति के पश्चात वापस की जाएगी।

7.2.2 सफल बोलीदाता की बोली गारंटी, निर्धारित प्रपत्र में ठेका निष्पादन गारंटी को उक्त बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने और इसे स्वीकार किए जाने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

7.2.3 बोली गारंटी कोई नोटिस अथवा क्षति का प्रमाण आदि दिए बिना जब्त की जा सकती है:

(क) यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान वापस लेता है तो,

अथवा

(ख) सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता निम्नलिखित में असफल रहता है:

(i) बिना शर्त अवॉर्ड-पूर्व विचार-विमर्श के दौरान हुए करारों को शामिल करने के लिए अवॉर्ड-पत्र/क्रय आदेश स्वीकार करने में।

(ii) खण्ड **29.0** के अनुसार ठेका निष्पादन गारंटी करने में।

7.2.4 उपर्युक्त बोली गारंटी पर स्वामी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8.0 बोलियों का संशोधन और वापस लेना

8.1 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद बोली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

8.2 बोली प्रपत्र के संबंध में बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा और बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि समाप्त होने के बीच की अवधि में कोई बोली वापस नहीं ली जा सकती है। इस अंतराल अवधि के दौरान किसी बोली को वापस लेने/संशोधित करने पर बोली जमानत राशि जब्त की जा सकती है।

9.0 बोली की भाषा

9.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली और बोलीदाता और स्वामी के बीच हुए बोली से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा बशर्ते बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई मुद्रित साहित्य दूसरी भाषा में लिखा हो, जबतक कि इसके संबंधित पैराओं का अंग्रेजी अनुवाद लगा हो। इसका अनुपालन न करने पर बोली अनर्हक हो सकती है। बोली की व्याख्या के लिए अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

10.0 प्रस्ताव के साथ अपेक्षित सूचना

10.1 यदि आवश्यक हो तो स्कैन की गई प्रतियों के रूप में तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है।

10.2 बोलीदाता द्वारा पृथक शीटों, ड्राइंगों, सूची-पत्र आदि के रूप में बोलीदाता द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

10.3 उपकरण अथवा किसी अन्य मामले में गुणवत्ता, मात्रा अथवा व्यवस्था के संबंध में किसी समय बोलीदाता द्वारा दिए गए मौखिक विवरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.4 बोलीदाता द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अतिरिक्त सूचना और डाटा उपलब्ध कराने के लिए बोली में बोलीदाता के मानक सूची-पत्र पृष्ठ और अन्य दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं।

10.5 'बोली प्रस्ताव' सूचना आरएफपी अपेक्षाओं के विरोधाभासी होने की स्थिति में आरएफपी अपेक्षाएं शासित होगी जब तक कि अन्यथा तकनीकी/वाणिज्यिक विचलन अनुसूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया जाए।

11.0 स्वामी द्वारा बोलियां खोलना

11.1 बोलियों के आमंत्रण में विनिर्दिष्ट अनुसार बोली प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अथवा अभी बोलीदाताओं के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाई गई अधिसूचित तारीख के पश्चात उसमें दी गई समय बढ़ाने की स्थिति में स्वामी द्वारा ई-निविदा के जरिए बोलियां खोली जाएंगी।

11.2 बोलीदाताओं के नाम, बोली मूल्य, संशोधन, बोली वापस लेने और अपेक्षित बैंक गारंटी और स्वामी के रूप में इस प्रकार के अन्य ब्यौरे होना अथवा न होना, बोली खोलने के दौरान अपने विवेक से उपयुक्त माने गए अनुसार घोषित की जाएगी।

11.3 बोली खोलने के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.0 बोलियों का स्पष्टीकरण

12.1 बोलियों की जाँच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता करने हेतु स्वामी अपने विवेक से अपनी बोलियों के स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता को कह सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित में होगा और बोली की कीमत अथवा विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन करने अथवा पेशकश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.0 प्रारंभिक जाँच

13.1 स्वामी यह निर्धारित करने के लिए जाँच करेगा कि बोलियां पूर्ण है, गणना संबंधी कोई गलती नहीं की गई है, अपेक्षित जमानत दे दी गई है, दस्तावेज उचित ढंग से हस्ताक्षरित किए गए हैं और बोलियां सामान्यत: क्रम में है।

13.2 गणितीय गलतियाँ निम्नलिखित आधार पर सुधारी जाएगी: इकाई कीमत और कुल कीमत जो इकाई कीमत को मात्रा से गुणा करके प्राप्त की गई है, के बीच यदि कोई गलती है तो इकाई कीमत लागू होगी और कुल कीमत को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है तो शब्दों में में लिखी गई राशि लागू होगी। यदि बोलीदाता उपर्युक्त गलतियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी औरबोली गारंटी की राशि जब्त हो जाएगी।

13.3 बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कीमत अनुसूचियों में दी गई कीमतें एक दूसरे से संगत है। इस प्रयोजन के लिए बोली प्रपत्र में अभिचिह्नित की जाने वाली विनिर्दिष्ट कीमत अनुसूचियों में दी गई कीमतों में किसी असंगतता की स्थिति में स्वामी मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सबसे अधिक कीमत और इन अनुसूचियों में सबसे कम वाली कम कीमतों का प्रयोग करके ठेके अवॉर्ड करने के प्रयोजन के लिए पात्र होगा।

13.4 विस्तृत मूल्यांकन के पूर्व स्वामी आरएफपी के लिए प्रत्येक बोली के पर्याप्त उत्तर निर्धारित करेगा। इन खण्डों के प्रयोजन के लिए एक पर्याप्त प्रत्युत्तर वाली बोली उन बोलियों में से एक है जो बिना पर्याप्त विचलन के आरएफपी की सभी निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप है। एक पर्याप्त विचलन वह है जो कीमतों, गुणवत्ता अथवा सुपुदर्गी अवधि अथवा वह सीमाएं जो किसी भी तरीके से इन आरएफपी

दस्तावेजों और विनिर्दिष्टियों में अपेक्षितानुसार स्वामी के किसी अधिकार के बोलीदाता के उत्तरदायित्वों और देयताओं को किसी तरीके से प्रभावित करती है। किसी बोली के प्रत्युत्तर के लिए स्वामी का निर्धारण गौण साक्ष्य का सहारा लिए बिना स्वयं बोली की विषय-वस्तु पर आधारित होगा।

13.5 पर्याप्त प्रत्युत्तर के रूप में निर्धारित बोली स्वामी द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी और गैर-अनुरूपता को सही करके बोलीदाता द्वारा बाद में प्रत्युत्तर वाली नहीं बनाई जा सकती।

14.0 कीमत

14.1 बोलीदाता आदेश के पूर्ण रूप से निष्पादन होने तक निश्चित वैध दर सूची देगा।

14.2 बोलीदाता एफओआर गंतव्य आधार पर दर सूची देगा जिसमें पैकिंग, फार्वर्डिंग, माल भाड़ा, बीमा प्रभार, कर एवं शुल्क, संस्थापन प्रभार, परीक्षण और चालू करना प्रभार आदि, यदि कोई हो, शामिल है।

14.3 बोलीदाता सभी सामग्रियों और सेवाओं (यदि कोई हो) के लिए मद-वार, इकाई, और लॉट कीमत की दर सूची देगा।

15.0 कर एवं शुल्क

15.1 सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे भारत में प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों के बारे में जाने और अपने प्रस्ताव विकसित और प्रस्तुत करते समय उन पर विचार करें।

15.2 वस्तुओं, उपकरणों, कंपोनेंट, सब-असेंबली, कच्ची सामग्री और उनकी खपत के लिए प्रयोग की गई किसी अन्य मद अथवा ठेकेदार और उनके उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वामी को सीधे प्रेषित पर बोलीदाता द्वारा सभी देय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, श्रम कल्याण उपकर और अन्य लेवियां बोली कीमत में शामिल की जाएंगी और इस प्रकार के देय अन्य कर, शुल्क अतिरिक्त लेवियां बोलीदाता के लिए देय होगी और इस कारण कोई पृथक दावा स्वामी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15.3 ठेकेदार ठेके के अनुसरण में स्वामी अथवा ठेकेदार के लिए सभी गैर-भारतीय करों, शुल्क, लेवी और कानूनी रूप से आंके गए के लिए उत्तरदायी होगा और भुगतान करेगा। ठेकेदार की व्यक्तिगत आय और परिसंपत्ति पर कर देयता, यदि कोई हो, भारत के कर कानूनों के अनुसार ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।

15.4 पीएफसी ठेके के अंतर्गत ठेकेदार को देय सभी भुगतान से भारतीय कानूनों के अनुसार स्रोत पर लागू कर कटौती (यदि कोई हो) के लिए पात्र होगी।

15.5 भारतीय आयकर के संबंध में आयकर पर सरचार्ज और अन्य निगमित कर पीएफसी कोई कर देयता, ठेके के तरीके का ध्यान रखे बिना, चाहे वह कोई भी हो, वहन नहीं करेगा। यदि कानून के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार के सभी करों, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। इस संबंध में भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की ओर से ठेकेकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

15.6 यदि करों/शुल्क/लेवी (जिसे यहाँ इसके पश्चात 'कर' कहा गया है) की दरों में कोई वृद्धि अथवा कमी होती है, कोई नया कर लगता है, कोई मौजूदा कर समाप्त किया जाता है अथवा ठेके के निष्पादन के दौरान किसी कर की व्याख्या अथवा प्रयोज्यता में कोई परिवर्तन होता है जो ठेके के निष्पादन के संबंध में ठेकेदार के संबंध में आंका गया था अथवा आंका जाएगा, ठेके कीमत में वृद्धि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन द्वारा पूरी तरह से ठेके कीमत का उचित समायोजन किया जाएगा। तथापि, ये समायोजन स्वामी और ठेकेदार के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन तब प्रतिबंधित होंगे और ठेकेदार द्वारा कंपोनेंट/उत्पादों/सेवाओं आदि पर नहीं होंगे और उप-विक्रेता से सीधे कार्यस्थल के लिए खरीदी गई प्रेषित मदों पर लागू नहीं होंगे।

16.0 बीमा

16.1 बोलीदाता अपनी कीमत पर सभी जोखिमों के लिए अपने हित और स्वामी के हितों के लिए कानून की दृष्टि से सभी बीमा जो संगत और बाध्यकर हो, की व्यवस्था करेगा, सुरक्षित करेगा और बनाए रखेगा। स्वामी द्वारा लिए गए उपकरण/सामग्रियों के अकेले विक्रेता के होने तक सभी समय पर्याप्त बीमा कवरेज बनाए रखने का उत्तरदायित्व होगा। तथापि, विक्रेता बीमा कंपनी से सीधे संबंध बनाए रखने का उत्तरदायित्व होगा। तथापि, विक्रेता बीमा कंपनी से सीधे संबंध रखने के लिए प्राधिकृत होगा।

16.2 ठेके के अंतर्गत उपकरण/सामग्री के विक्रेता के वेयरहाउस में पहुँचन के पश्चात साठ (60) दिन तक संभाल, ढुलाई के दौरान उपकरण/सामग्री की कोई हानि अथवा क्षति विक्रेता के कारण होगी। विक्रेता द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार विक्रेता के प्रेषिती द्वारा सामग्री की प्राप्ति के बाद 60 दिन की अवधि के लिए वैध आधार पर वेयरहाउस से वेयरहाउस तक होनी चाहिए। विक्रेता सभी दावे करने के लिए उत्तरदायी होगा और क्षतिग्रस्त अथवा गुम हुई सामग्री की मरम्मत और/अथवा बदलकर क्षति अथवा हानि के लिए बेहतर करेगा। स्थानांतरण के स्वामित्व से ठेके की अवधि के दौरान उपर्युक्त उत्तरदायित्वों को बोलीदाता का किसी तरह से मुक्त नहीं करेगा।

16.3 विक्रेता द्वारा लिए जाने के लिए अपेक्षित बीमा में सभी जोखिम, जिनमें युद्ध, हड़ताल, दंगे और असैनिक हो-हल्ला आदि शामिल है, शामिल होंगे। इस प्रकार के बीमे का क्षेत्राधिकार कार्यस्थल पर सुपुर्द की गई सामग्रियों की प्रतिस्थापना/पुन: संस्थापन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। बीमा कवर की सीमा होने के बावजूद अंडरराइटर्स से उपलब्ध दावे की राशि और समय जिस पर अंडरराइटर से दावा उपलब्ध है, विक्रेता स्वामी की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण बेहतर उपलब्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

17.0 बोली मुद्राएं

17.1 कीमतें केवल भारतीय रुपए (रुपए) में दी जाएगी।

18.0 बोलियों की वैधता की अवधि

18.1 बोलियां बोली खोलने के लिए निर्धारित तारीख के पश्चात 120 दिन की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध और खुली रहेंगी।

19.0 बोली खोलना-ई-प्रापण

19.1 यदि बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित तारीख और समय से पूर्व बोली गारंटी और निविदा लागत फीस प्रस्तुत नहीं की गई है, तो उनकी बोली नहीं खोली जाएगी। क्रेता यह निर्धारित करने के लिए सभी अन्य बोलियों की जाँच करेगा कि क्या के पूर्ण है, अपेक्षित बोली गारंटियाँ दे दी गई है, दस्तावेज उचित ढंग से अपलोड कर दिए गए हैं और बोलियां सामान्यत: क्रम में हैं।

20.0 प्रक्रिया गोपनीय रखना

20.1 जाँच की प्रक्रिया स्पष्टीकरण, बोलियों के मूल्यांकन और तुलना और ठेके अवॉर्ड करने से संबंधित निर्णय से किसी क्रेता को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता द्वारा प्रयास से उसकी बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

21.0 गलतियों को सुधारना

21.1 सब-सिक्वेंस प्रत्युत्तर के लिए निर्धारित की जाने वाली बोलियों की गणना, सार में किसी गणितीय गलती के लिए क्रेता द्वारा जाँच की जाएगी। क्रेता द्वारा नीचे दिए अनुसार गलतियां सुधारी जाएगी:

क) आंकड़ों और शब्दों में राशि के बीच जहाँ कहीं विसंगति है, शब्दों में राशि शासित होगी।

ख) इकाई दर और इकाई दर को मात्रा से गुणा करके प्राप्त की गई कुल राशि के बीच जहाँ कहीं विसंगति है, दी गई इकाई दर शासित होगी जब तक कि क्रेता का मत है कि इकाई दर में दशमलव बिंदू स्पष्ट सही नहीं लगाया है, उस स्थिति में दी गई दर की कुल राशि शासित होगी और इकाई दर सही की जाएगी।

21.2 बोली प्रपत्र में उल्लिखित राशि की गलतियों को सुधारने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार क्रेता द्वारा समायोजित की जाएगी और बोलीदाता के लिए बाध्यकर मानी जाएगी। यदि बोलीदाता बोली की सुधारी गई राशि को स्वीकार नहीं करता तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और बोली गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

22.0 समय अनुसूची

22.1 कार्य शुरू करने के लिखित आदेश के 7वें दिन से 30 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने का समय ही अनुमत होगा।

23.0 बोलियों का मूल्यांकन और तुलना

23.1 क्रेता उपर्युक्त **खण्ड 14.0** के अनुसरण में बोली दस्तावेजों की अपेक्षाओं, पर्याप्त प्रत्युत्तर को पहले निर्धारित किए जाने हेतु बोलियों का मूल्यांकन और तुलना करेगा।

23.2 बोलियों के मूल्यांकन में नियोक्ता नीचे दिए अनुसार बोली कीमत समायोजित करके मूल्यांकित की गई बोली कीमत प्रत्येक बोली के लिए निर्धारित करेगा:

क) खण्ड 21.0 के अनुसरण में गलतियों में कोई सुधार करना

ख) अनंतिम गणना को बाहर करना

ग) खण्ड 13 में प्रत्युत्तर परीक्षण के अध्यधीन किसी अन्य स्वीकार्य मात्रात्मक विचलन के लिए उपयुक्त समायोजन करना।

23.3 बोलीदाता विनिर्दिष्टियों में उल्लिखित भुगतान अनुसूचियों के लिए अपनी बोली कीमत बताएगा। बोलियों का मूल्यांकन इस आधार कीमत के आधार पर किया जाएगा।

23.4 किसी अंतर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने और पेशकश किए गए विचलनों अथवा विकल्पों का अधिकार क्रेता के पास है। अंतर, विचलन,पेश किए गए विकल्प और अन्य घटक, जो बोली दस्तावेजों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त है अथवा अन्यथा क्रेता से संबंधित लाभ पहुंचाता है, बोली मूल्यांकन में ध्यान नहीं रखा जाएगा।

23.5 क्रेता, बोलीकर्ता और उप-आपूर्तिकर्ता के बीच लेन-देन पर कानूनी रूप से देय जीएसटी, श्रम कल्याण उप-कर और अन्य लेवियां बोली मूल्यांकन में शामिल की जाएंगी।

23.6 बोली मूल्यांकन दी गई कुल दर सूची के आधार पर किया जाएगा और अवॉर्ड क्रेता के लिए सबसे कम मूल्यांकित लागत के आधार पर दिया जाएगा।

24.0 अवॉर्ड मानदंड

24.1 क्रेता उस बोलीदाता, जिसकी बोली, बोली दस्तावेजों हेतु पर्याप्त प्रत्युत्तर की निर्धारित की जानी है और उपर्युक्त खण्ड 23 के अनुसरण में मूल्यांकित सबसे कम बोली के रूप में निर्धारित की गई है बशर्ते कि बोलीदाता के पास ठेके को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता और संसाधन हो।

25.0 किसी बोली को स्वीकार करने और किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकृत करने के लिए क्रेता का अधिकार

25.1 क्रेता की कार्रवाई के लिए बोलीदाताओं के आधार अथवा प्रभावित बोलीदाताओं को सूचित करने के लिए प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाता अथवा किसी बाध्यता के बिना ठेके के अवॉर्ड से पूर्व किसी

समय किसी ई-बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकृत करने और सभी बोलियों की ई-बोली प्रक्रिया को रद्द करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार क्रेता के पास है।

26.0 अवॉर्ड की अधिसूचना

26.1 क्रेता द्वारा निर्धारित बोली वैधता की अवधि के समाप्त होने से पूर्व क्रेता केबल द्वारा सफल बोलीदाताओं को अधिसूचित करेगा, पंजीकृत पत्र से लिखित में यह पुष्टि करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। इस पत्र (इसमें इसके बाद इसे 'अवॉर्ड की अधिसूचना'/'अवॉर्ड पत्र' नामक ठेके की शर्तें कहा गया है) वह राशि बताए जो क्रेता ठेके (इसमें इसके बाद इसे और ठेके की शर्तों में 'ठेके कीमत' कहा गया है) द्वारा निर्धारित अनुसार कार्य के निष्पादन, पूरा होने और अनुसरण की क्षतिपूर्ति में ठेकेदार को भुगतान करेगा। 'अधिसूचना अवॉर्ड'/'अवॉर्ड पत्र' प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर सफल बोलीदाता उसकी प्राप्ति की पावती के रूप में क्रेता उसकी एक प्रति हस्ताक्षर करेगा और वापस करेगा।

26.2 अवॉर्ड की अधिसूचना से ठेके बनेगी।

27.0 सुपुर्दगी/शिपमेंट शर्तें

27.1 सभी उपकरण/सामग्री क्रय आदेश/एलओए में निर्धारित अनुसार सुपुर्दगी अवधि के भीतर एफओआर गंतव्य आधार पर गंतव्य के लिए प्रेषित किए जाएंगे।

28.0 ठेके निष्पादन गारंटी (सीपीजी)/जमानत राशि (एसडी)

28.1 ठेके अवॉर्ड किए जाने पर सफल बोलीदाता से अनुराध है कि वह **परिशिष्ट-II** में उल्लेख के अनुसार ठेके निष्पादन गारंटी, बैंक गारंटी के रूप ठेके कीमत के 10% मूल्य के बराबर ठेके के विश्वसनीय निष्पादन हेतु क्रेता से अवॉर्ड की अधिसूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ठेके निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करें। ठेके निष्पादन गारंटी ठेके समाप्त होने की तारीख के पश्चात 3 माह की अवधि के लिए वैध रखी जाएगी।

28.2 बैंक गारंटी (क) किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अथवा (ख) किसी अनुसूचित भारतीय बैंक से जारी की जाएगी।

28.3 खण्ड 26.1 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सफल बोलीदाता की विफलता अवॉर्ड को रद्द करने और बैंक गारंटी को जब्त करने का पर्याप्त आधार बनता है। इस मामले में क्रेता अगले सबसे कम मूल्यांकित बोलीदाता को अवॉर्ड कर सकता है अथवा नई बोली आमंत्रित कर सकता है।

28.4 ठेके निष्पादन गारंटी राशि बिना किसी शर्त, चाहे वह कोई भी हो, के स्वामी को देय होगी और ये गारंटियाँ अप्राप्य होंगी।

28.5 निष्पादन गारंटी में स्वामी के लिए निम्नलिखित गारंटी अतिरिक्त रूप से कवर करेगी:

(क) विनिर्दिष्ट और दस्तावेजों के अनुसार ठेके के अंतर्गत ठेके कार्य के सफल और संतोषजनक प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सफल बोलीदाता गारंटी।

(ख) सफल बोलीदाता आगे गारंटी देता है कि उसके द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित उपकरण/सामग्री वर्कमैनशिप में सभी दोषों से मुक्त होगी और स्वामी की ओर से लिखित नोटिस पर होगी, स्वामी के लिए पूरी तरह से उपचार खर्च मुक्त होगी। उक्त सामग्री और उपकरणों के सामान्य प्रयोग के अंतर्गत विकसित इस प्रकार की त्रुटियां संबंधित खण्डों में वारंटी/गारंटी की अवधि के भीतर होगी।

28.6 यदि ठेकेदार छोटे अनुरक्षण/आधुनिकीकरण कार्यों के लिए सीपीजी/एसडी जमा करने में असफल होता है तो पीएफसी उसे ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल से काट लेगा।

29.0 स्थानीय स्थिति

29.1 प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी स्थानीय स्थितियों और घटकों, जो इन विनिर्दिष्टियों और दस्तावेजों के अंतर्गत शामिल ठेके के निष्पादन पर प्रभाव डालती हो, से अपने आपको पूर्णत: अवगत रखेंगे।

30.0 भुगतान अवधि

30.1 अंतिम मद दरों के अनुसार कार्य के पूर्ण होने पर भुगतान किया जाएगा। महाप्रबंधक (ई एवं बीएम) द्वारा यथा निर्धारण अनुसार कार्य पूर्ण होने के आधार पर ही ठेकेदार को पार्ट भुगतान निर्मोचित किया जाएगा। पीएफसी द्वारा ई-बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाएगा तथा सफल बोलीकर्ता द्वारा ई-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान निर्मोचन का ब्यौरा प्रदान किया जाएगा।

31.0 निरीक्षण-जाँच-परीक्षण

क्रय आदेश के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं और/अथवा उसके उप-विक्रेता द्वारा विनिर्मित सभी सामग्री/उपकरण सभी चरणों पर और स्थानों पर उसके विनिर्माण से पूर्व के दौरान और उसके बाद क्रेता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण, जाँच और/अथवा परीक्षण के अध्यधीन होंगे।
क्रेता और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण अथवा सामग्री/उपकरण के निरीक्षण के लिए क्रेता और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विफलता आपूर्तिकर्ता को किसी उत्तरदायित्व अथवा देयता से मुक्त नहीं करेगा।

32.0 आपूर्तिकर्ता के परिसरों के लिए पहुँच

कार्य की प्रगति में शीघ्रता लाने, निरीक्षण, जाँच करने के लिए आदेश के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय विक्रेता और/अथवा उसके उप-विक्रेता के परिसरों के लिए स्वामी और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि पहुँच उपलब्ध कराएंगे।

33.0 अस्वीकृत सामान को हटाना और बदलना

सुपुर्दगी होने पर यदि पहले निरीक्षित और अनुमोदित अथवा अन्यथा सामग्री/उपकरण विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं है तो उसे क्रेता अथवा उसके विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस आशय की अधिसूचना कार्य/कार्यस्थल/कार्यालय में सामग्री प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सामान्यत: विक्रेता को जारी की जाएगी।
आपूर्तिकर्ता अस्वीकृति की नोटिस के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृत मदों को हटाने की व्यवस्था करेगा और ऐसा नहीं करने पर स्वामी इस प्रकार की अस्वीकृत मदों को किसी भी तरीके, जिसे वह उपयुक्त समझे, से निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। आपूर्तिकर्ता को प्रदत्त धन सहित अस्वीकृत मदों को हटाने में स्वामी द्वारा व्यय किए गए सभी खर्चों की वसूली आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।

34.0 आपूर्ति के स्रोत

विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश को निष्पादित करने में पूर्णतया संभव सीमा तक स्वेदशी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ आयात अपरिहार्य है, इस प्रकार की सभी मदें ठेकेगत सुपुदर्गी तारीख/सुपुर्दगी अनुसूची को प्रभावित किए बिना विक्रेता द्वारा अपने आयात लाइसेंस के विरुद्ध समय रहते आयात की जाएंगी।

35.0 पैकिंग और मार्किंग

35.1 अभी सामान रेल/सड़क/समुद्र/वायु परिवहन के लिए उपयुक्त केसों/बंडलों/कैरेट आदि में सुरक्षित ढंग से पैक किया जाएगा। सभी एक्सपोज्ड सर्विस/कनेक्शन/प्रोट्रूजनों की उचित सुरक्षा की जाएगी।

35.2 सभी एक्सपोज्ड भाग सावधानी से पैक किए जाएंगे और पैकेज पर "विद केयर" शब्द लिखे होने चाहिए। रेल/सड़क/समुद्र द्वारा ढुलाई किए जाने वाले सामान की पैकिंग उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी और विक्रेता किसी क्वालीफाइंग रिमार्क्स के बिना प्रेषिती के पक्ष में क्लीन रेलवे/सामान प्राप्ति/लैंडिंग बिल/एयर वे बिल प्राप्त करेगा। क्रेता, प्रेषिती का नाम, क्रय आदेश संख्या, कुल और निवल भार और परिमाप का उल्लेख करते हुए कम से कम दो स्थानों पर अंग्रेजी से इंडेलिबल पेंट से सभी पैकेजों और बिना पैक की हुई सामग्री पर मार्क होना चाहिए, बंडल, मैटेलिक पैलेट की स्थिति में इस प्रकार के बंडलों पर उपर्युक्त विवरण टैग किया होना चाहिए।

35.3 सभी सामान क्रय आदेश की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रेषित किया जाए। क्रेय आदेश में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य ढुलाई के साधन के मामले में क्रेता से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसे किया जाए। रेलवे प्राधिकारियों से सभी ढुलाई, स्वीकृति, लदान अनुमति आदि विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाएगी।

35.4 विक्रेता क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रेषिती को फैक्स/टेलेक्स/तार द्वारा प्रेषण के तत्काल बाद प्रेषण संबंधी ब्यौरा सूचित करेगा। विक्रेता प्रेषण की तारीख से दो दिनों के भीतर क्रय आदेश में अपेक्षितानुसार संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषण के मूल दस्तावेज और प्रतियां भी भेजेगा। ऐसा न करने की स्थिति में दस्तावेज नहीं होने कारण उस प्रेषण के लिए भुगतान में किसी विलंब के लिए और बाद के विलंब प्रभार और संघर्ष और रोके रखने के प्रभार आदि के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।

36.0 वारंटी/त्रुटि दायित्व अवधि

आपूर्ति किए गए प्रोजेक्टरों के लिए कार्य के पूरा होने की तारीख से 12 **माह** की अवधि के लिए त्रुटि दायित्व अवधि है। इस अवधि के दौरान ठेकेदार को पाई गई किसी समस्या को देखना होगा और अपनी कीमत पर उसका समाधान करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

37.0 पूरा करने में विलंब के लिए परिसमापक क्षति

37.1 लिखित में अनुमति दी गई बढ़ाई गई अवधि सहित कार्य सुपुर्दगी अनुसूची की निर्धारित तारीख के बाद आदेश के निष्पादन में किसी विलंब के मामले में स्वामी को विक्रेता से विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए विलंबित सामग्री/उपकरण अथवा अनिष्पादित सेवाओं के मूल्य के 0.5% (आधा प्रतिशत) के बराबर राशि और उसके भाग के रूप में आदेश के कुल मूल्य के अधिकतम 5% की शर्त पर वसूलने का अधिकार होगा।

37.2 विकल्पत: विक्रेता के जोखिम और लागत पर कहीं से भी सामग्री/उपकरण क्रय करने के लिए और उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा सामग्री क्रय करने में क्रेता द्वारा खर्च की गई इस प्रकार की सभी अतिरिक्त लागत वसूलने का अधिकार क्रेता के पास होगा।

37.3 विकल्पत: क्रेता उपर्युक्त विकल्पों के अंतर्गत अपने अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना आदेश को पूरी तरह से रद्द कर सकता है।

38.0 विलंब शुल्क, युद्ध आदि

प्रेषण दस्तावेज के विलंबित समझौते के कारण गंतव्य (रेलवे गोदाम अथवा पत्तन अथवा सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस) में प्रेषण पहुँचने के पश्चात हुआ विलंब शुल्क, युद्ध अथवा अन्य व्यय अथवा किसी अन्य कारण की वजह से क्रेता/क्रेता के भारतीय एजेंट के कारण हुआ व्यय।

39.0 अपरिहार्य स्थिति

39.1 अपरिहार्य स्थिति की परिभाषा

अप्रत्याशित स्थिति से अभिप्राय पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर परंतु इन तक सीमित नहीं, किसी परिस्थिति से है:

क) युद्ध और अन्य युद्ध स्थिति (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो अथवा नहीं), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं के कृत्य, लामबंदी, मांग अथवा प्रतिबंध।

ख) नाभिकीय ईंधन के प्रज्वलन, किसी नाभिकीय अपशिष्ट से अथवा नाभिकीय ईंधन से रेडियोएक्टिविटी द्वारा लांजिंग रेडिएशन अथवा कंटामिनेशन, रेडियाएक्टिव टॉक्सिक विस्फोटक अथवा किसी विस्फोटक नाभिकीय असेंबली अथवा नाभिकीय कंपोनेंट की अन्य खतरनाक प्रोपर्टीज।

ग) विद्रोह, क्रांति, राजद्रोह, सैन्य अथवा शक्ति छीनना और सिविल युद्ध।

घ) दंगे, हंगामा, उपद्रव, केवल उनको छोड़कर जो ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित है।

40.0 विनिर्दिष्टियां, ड्राइंग एवं डाटा

आदेश की गई मदों के संबंध में सभी ड्राइंगें, डाटा और प्रलेख कार्य आदेश का महत्वपूर्ण भाग है। विक्रेता इस प्रकार की सभी ड्राइंगें, डाटा और प्रलेख पीएफसी को भेजेगा। विक्रेता द्वारा इन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने की अनुसूची और अपेक्षित प्रतियों की संख्या पीएफसी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। विक्रेता अनुसूची का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा।

41.0 संवर्द्धन/परिवर्तन/संशोधन

क्रय आदेश के मूल्य $\pm$ 15% की सीमा तक क्रय आदेश की मदों की मात्रा में संवर्द्धन/परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार स्वामी के पास है। इस प्रकार के विकल्प का प्रयोग क्रय आदेश के अंतर्गत आपूर्तियों को पूरा करने से पूर्व स्वामी द्वारा किया जाएगा। विक्रेता क्रय आदेश में मूल रूप से सहमत शामिल उन्हीं दरों पर इस प्रकार की मात्राओं की भी आपूर्ति करेगा। तथापि, यदि अतिरिक्त कार्य में डिजाइन, आकार और विनिर्दिष्टियों में अंतर है और क्रय आदेश के संशोधनों द्वारा पहले से शामिल नहीं है तो इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य की दर बातचीत और पारस्परिक सहमति से निर्धारित होगी।

42.0 किराए पर देना

विक्रेता क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस आदेश के किसी भाग को किराए पर नहीं देगा, स्थानांतरित नहीं करेगा और नहीं सौंपेगा।

43.0 क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आदेश के निष्पादन के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को दी गई सभी ड्राइंगें, डाटा और प्रलेख क्रेता की संपत्ति होगी। विक्रेता क्रेता के आदेश के निष्पादन के प्रयोजन को छोड़कर किसी भी समय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज का प्रयोग नहीं करेगा। विक्रेता किसी व्यक्ति, फर्म, निगमित निकाय और/अथवा प्राधिकारी को उपर्युक्त सूचना प्रकट नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयास करेगा कि उपर्युक्त सूचना गोपनीय रखी गई है।

44.0 पेटेंट अधिकार

कार्य के निष्पादन में प्रयोग की गई सामग्री/उपकरण अथवा प्रक्रिया को शामिल करते हुए पेटेंट के लिए रॉयल्टी और फीस विक्रेता के कारण होगी। विक्रेता उन सभी माँगों से संतुष्ट होगा जो इस प्रकार की रॉयल्टी और फीस किसी भी समय की जा सकती है और वह अकेला क्षति, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी होगा ओर इस संबंध में खरीद को सुरक्षित रखेगा। विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी उपकरण/सामग्री अथवा उसके किसी भाग के किसी मुकदमें में शामिल होने अथवा अन्य कार्यवाही जिससे अतिक्रमण होता है और इसका अतिक्रमण किया जाता है तो विक्रेता अपने खर्चे पर क्रेता के लिए खरीदने, इस प्रकार के उपकरणों/सामग्री का प्रयोग करते रहने अथवा इस अनतिक्रमणीय बन सके, का अधिकार होगा।

45.0 विनियमों का अनुपालन

विक्रेता को उन सभी वस्तुओं और सेवाओं, जो क्रय आदेश द्वारा शामिल की गई है, बेची गई है, प्रेषित की गई है, सुपुर्द की गई है और परीक्षित और संस्थापित की गई है तथा उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 और समय-समय पर लागू तकनीकी संहिताओं और अपेक्षाओं सहित सभी लागू कानूनों, विनियमों का सख्ती से अनुपालन किया गया है।

अनुपालन के साक्ष्य में क्रेता द्वारा यथा अपेक्षित इस प्रकार के दस्तावेज विक्रेता निष्पादित और सुपुर्द करेगा। क्रय आदेश द्वारा शामिल किए जाने वाले अपेक्षित सभी कानून और विनियम इस संदर्भ द्वारा एतद्द्वारा शामिल हुए माने जाते हैं। आदेश के निष्पादन में कोई विरोधाभास उत्पन्न होने से किसी देयता का उत्तरदायित्व अकेले विक्रेता का होगा।

46.0 ठेकेदार की चूक

46.1 चूक नोटिस

यदि ठेकेदार ठेके के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं कर रहा है अथवा उसके अंतर्गत अपनी बाध्यताओं का निष्पादन करने में अवहेलना कर रहा है जोकि कार्य करने के लिए कार्यक्रम को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, क्रेता इस प्रकार की विफलता अथवा अवहेलना को सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दे सकता है।

46.2 ठेकेदार की चूक का स्वरूप

यदि ठेकेदार:

क) उप-खण्ड 46.1 के अंतर्गत नोटिस के साथ उचित समय के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, अथवा

ख) नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संपूर्ण कार्य की ठेके अथवा उप-ठेके देता है, अथवा

ग) दिवालिया अथवा दिवालियापन हो जाता है अथवा उसके विरुद्ध प्राप्ति आदेश है अथवा ऋणदाताओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और अपने ऋणदाताओं के लाभ के लिए प्राप्तकर्ता, न्यासी अथवा प्रबंधक अधीन कारोबार करता है अथवा परिसमाप्त हो जाता है।

क्रेता ठेकेदार को 15 दिन का नोटिस देने के बाद ठेके समाप्त कर सकता है और ठेकेदार को कार्यस्थल से निष्कासित हो सकता है।

इस प्रकार का कोई निष्कासन और समाप्ति ठेके के अंतर्गत क्रेता अथवा ठेकेदार की शक्तियों के किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

इस प्रकार की समाप्ति होने पर क्रेता स्वयं अथवा किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा कराएगा। क्रेता अथवा इस प्रकार का अन्य ठेकेदार कार्यस्थल पर ठेकेदार का कोई भी उपकरण, जिसे वह अथवा वे उचित समझें, इस प्रकार के समापन के लिए प्रयोग कर सकता है और क्रेता इस प्रकार के प्रयोग के लिए ठेकेदार को उचित कीमत की अनुमति देगा।

46.3 समाप्ति की तारीख का मूल्यांकन

क्रेता इस प्रकार की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र कार्यों के मूल्य और समाप्ति की तारीख को ठेकेदार को उस समय देय सभी राशि प्रमाणित करेगा।

46.4 समाप्ति के पश्चात भुगतान

कार्य पूरा होने तक क्रेता ठेकेदार को आगे और कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब इस प्रकार कार्य पूरा होता है तो उप-खण्ड 46.3 के अंतर्गत ठेकेदार को देय किसी राशि के लिए अनुमति देने के पश्चात कार्य के पूरा करने तक क्रेता अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, ठेकेदार से

वसूलने के लिए पात्र होगा। यदि इस प्रकार की कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है तो क्रेता को ठेकेदार से शेष देय राशि का भुगतान करना होगा।

46.5 विलंब के लिए देयता का प्रभाव

इसके अंतर्गत किसी देयता, जो पहले ही हो चुकी है, के पूर्वाग्रह के बिना क्रेता उसे कार्यस्थल से निष्कासित करने के समय से खण्ड 34 के अंतर्गत ठेकेदार की देयता तत्काल समाप्त हो जाएगी।

47.0 विक्रय स्थिति

आगे उसके दो पक्षकारों के बीच एक संपूर्ण करार करेगा। क्रय आदेश के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता द्वारा स्वीकार करने के साथ ही वह इस सामान्य/विशेष विक्रय स्थिति को माफ करने/रद्द करने पर विचार कर सकता है।

48.0 रद्द करना

स्वामी के पास इसके लिए एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस देते हुए आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से आदेश को रद्द करने का अधिकार है।

क) विक्रेता आदेश की किसी शर्त का पालन करने में विफल रहता है;

ख) विक्रेता दिवालिया हो जाता है अथवा परिसमाप्त हो जाता है;

ग) विक्रेता ऋणदाताओं के लाभ के लिए सामान्य कार्य करता है; और

घ) विक्रेता द्वारा उसके स्वामित्व की परिसंपत्ति के लिए कोई प्राप्तकर्ता नियुक्त करता है।

49.0 विवाद और विवाचन

49.1 क्रेता और आपूर्तिकर्ता ठेके के अंतर्गत अथवा उसके संबंध में उनके बीच किसी असहमति अथवा उत्पन्न विवाद का सीधे औपचारिक बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे।

49.2 यदि इस प्रकार की बातचीत के शुरू होने के 30 (तीस) दिनों के बाद क्रेता और आपूर्तिकर्ता किसी ठेके विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो दोनों पक्षों से अपेक्षा है कि समाधान के लिए नीचे दिए गए विनिर्दिष्ट औपचारिक तंत्र को विवाद समाधान हेतु भेजें।

49.3 लागू किया जाने वाला विवाद समाधान तंत्र नीचे दिए अनुसार होगा:

क) क्रेता और बोलीदाता के बीच विवाद के मामले में विवाद भारतीय कानूनों के अनुसार अधिनिर्णय/विवाचन हेतु भेजा जाएगा।

49.4 विवाचक (विवाचकों) द्वारा दिया गया अवॉर्ड स्पीकिंग अवॉर्ड होगा।

49.5 कार्य जारी रखना

जब तक कि क्रेता निलंबन आदेश नहीं करता तब तक विवाचन कार्यवाही के दौरान ठेके का निष्पादन जारी रहेगा यदि इस प्रकार का कोई निलंबन ठेकेदार द्वारा खर्च की गई औचित्यपूर्ण लागत का आदेश देता है और लागत होती है तो ठेके कीमत में जोड़ी जाएगी।

49.6 विवाचन के लंबित रहने के कारण क्रेता द्वारा देय अथवा बकाया कोई भुगतान नहीं रोका जाएगा।

50.0 कानून और प्रक्रिया

50.1 लागू कानून

कानून, जो ठेके के लिए लागू हैं और जिसके अंतर्गत ठेके मानी जानी है, भारतीय कानून है। दिल्ली न्यायालय का विवाचन अवॉर्ड के निष्पादन सहित ठेके में उत्पन्न सभी मामलों के लिए विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

50.2 निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करना

बोलीदाता को इसमें ऊपर उल्लिखित और दस्तावेजों में संलग्न निबंधन एवं शर्तों के लिए अपनी स्वीकार्यता की पुष्टि करनी होगी। बोलीदाता के लिए यदि कोई खण्ड स्वीकार्य नहीं है तो वह स्पष्ट रूप से पुष्टि सहित बोली प्रस्ताव क्षेत्रों में दी गई विचलन अनुसूचियों में विशेष रूप से दिया जाए और यह पुष्टि की जाए कि अन्य सभी खण्ड बोलीदाता को स्वीकार है। यदि इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि यहाँ उपर्युक्त उल्लिखित सभी खंड बोलीदाता को स्वीकार्य हैं।